



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श०)

(सं० पटना 296) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

5 मई 2020

सं०सं० 1प/स्था०-01-19/2018/88/प०रा०—बिहार पंचायत सेवा के निम्नांकित व्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित) को कार्यहित में कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित जिला में प्रभारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर अपने वेतनमान में ही अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	व्याख्याता का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नव पदस्थापित कार्यालय
1	2	3	4	5
1.	श्री शरद कुमार झा	भागलपुर	पदस्थापन की प्रत्याशा में	दरभंगा
2.	श्रीमती नीलिमा सिन्हा	पटना	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर।	भोजपुर

2. उपर्युक्त प्रभारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी वित्तीय शक्ति सहित जिला पंचायत राज पदाधिकारी के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उक्त पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ देय नहीं होगा। संबंधित पदाधिकारी को यदि यह शर्त मंजूर न हो तो DPRO के पद का प्रभार नहीं ग्रहण करते हुए इसे प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संज्ञान में लायेंगे, पद पर योगदान करना इस शर्त पर सहमति मानी जायेगी एवं किसी प्रकार का कोई दावा इस संबंध में मान्य नहीं होगा।

3. आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर उपर्युक्त प्रभारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी संबंधित जिले में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
विनीता,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 296-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>